न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 33/2025 निर्णय दिनांकः– 14-08-25
(जीसीएमएस संख्या 2025/137)

1. गणेशाराम (मृतक)

1/1 श्रीमती खेमी देवी पत्नी स्व. गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी भरूपावा

1/2 प्रभुराम पुत्र स्व. गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी भरूपावा

1/3 श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व. गणेशाराम पत्नी शिवराम निवासी भरूपावा

1/4 श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व. गणेशाराम पत्नी पप्पूराम जाति मेघवाल निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

2. फूसाराम (मृतक)

2/1 श्रीमती धापूदेवी पत्नी स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।

2/2 भंवरलाल पुत्र स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।

2/3 तुलसी पुत्री स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 13 मोटावता खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

2/4 सायर पुत्री स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 13 मोटावता खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

2/5 रामस्वरूप पुत्र स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।

2/6 परमेश्वरी पुत्री स्व. फूसाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कुचौर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

2/7 मंगली पुत्री स्व.फूसाराम पत्नी मघाराम जाति मेघवाल निवासी कुचौर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

2/8 बजरंग लाल पुत्र पुत्र स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।

2/9 धर्मचंद पुत्र स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।

3. हड़मानराम पुत्र स्व. खेताराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. श्रीमती शांतिदेवी पुत्र स्व. खेताराम पत्नी गंगाराम जाति मेघवाल निवासी बीजरवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
5. श्रीमती अणदी देवी पुत्री स्व. खेताराम पत्नी गंगाराम जाति मेघवाल निवासी बीजरवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. श्रीमती मूली देवी बेवा स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
7. श्रीमती मांग देवी पुत्री स्व. मोहनलाल (मृतक)

7/1 नत्थूराम पुत्र अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बड़ी जस्सोलाई, बीकानेर।

7/2 आनंद कुमार पुत्र श्रीमती मांगूदेवी उर्फ मंगली जाति मेघवाल निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बड़ी जस्सोलाई, बीकानेर।

7/3 श्रीमती माया पत्नी मुकेश पुत्री श्रीमती मांगूदेवी उर्फ मंगली जाति मेघवाल निवासी भोलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

7/4 श्रीमती तुलसी पत्नी ताराचंद पुत्री श्रीमती मांगूदेवी उर्फ मंगली जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का मोहल्ला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

7/5 कुमारी पिंकी उम्र 12 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता नत्थूराम पुत्र अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बड़ी जस्सोलाई, बीकानेर।

8. देवाराम पुत्र स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
9. कन्हैयालाल पुत्र स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
10. श्रीमती संतोष पुत्री स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
11. श्रीमती मोहिनी बेवा स्व. पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
12. प्रभुराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
13. श्रीमती राधा पुत्री स्व. पुरखाराम पत्नी श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का मोहल्ला, जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
14. श्रीमती कमला पुत्री स्व. पुरखाराम पत्नी श्री हड़मानराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का मोहल्ला, जामसर तहसील व जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

15. श्रीमती अनिता पुत्री स्व. पुरखाराम पत्नी श्री मधुराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का मोहल्ला, जामसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. गौरीशंकर (मृतक)

1/1 उमाशंकर पुत्र श्री गौरीशंकर जाति पुरोहित निवासी झंवरो का चौक, बाहर गुवाड के पास, बीकानेर

1/2 श्रीमती सरिता पत्नी दुर्गाशंकर पुत्र गौरीशंकर जाति पुरोहित निवासी झंवरो का चौक, बाहर गुवाड़ के पास, बीकानेर

2. श्रीरतन पुत्र रामलाल जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर

3. हरीरतन पुत्र रामलाल जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर

4. श्यामसुन्दर पुत्र शिवशंकर जाति पुरोहित निवासी झंवरो का चौक, बाहर गुवाड़ के पास, बीकानेर

5. हरीशंकर पुत्र तुलछीराम जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर

6. विजयशंकर पुत्र तुलछीराम जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर

7. रविशंकर पुत्र तुलछीराम जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर

8. तुलसी पत्नी भवानीशंकर जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर

9. जयशंकर पुत्र भवानीशंकर जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

10. मु. मैना पत्नी यासीन खां जाति मुसलमान कलाल (मालावत) निवासी कुचीलपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
11. यासील खां पुत्र करणे खां जाति मुसलमान कलाल (मालावत) निवासी कुचीलपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
12. अमित मालावत पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान कलाल (मालावत) निवासी कुचीलपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
13. सुमित मालावत पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान कलाल (मालावत) निवासी कुचीलपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
14. मु. रूबीना पत्नी अमित मालावत जाति मुसलमान कलाल (मालावत) निवासी कुचीलपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
15. श्रीमती शारदा धारीवाल पत्नी अशोक धारीवाल जाति धारीवाल निवासी 1 डागा बिल्डिंग महात्मा गॉधी के.ई.एम. रोड़, बीकानेर।
16. तेजभान बलाना पुत्र हुकमचंद बलाना निवासी 1–डी–91, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर
17. अनूज कुमार पुत्र स्व. पूर्णचंद जाति नागपाल निवासी एफ–1–34–जी.के. –1, नई दिल्ली।
18. पेमाराम जाट पुत्र पन्नाराम जाति सारण (जाट) निवासी करमीसर, बीकानेर।
19. गांधी विघा मंदिर, तहसील सरदारशहर जिला चुरू जरिये रजिस्ट्रार श्री आर.एस.त्रिपाठी पुत्र श्री अभिलाष त्रिपाठी निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
20. मैसर्स सी.आर.डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड लैण्ड डवलपर्स जरिये भागीरथ रामलाल दफ्तरी बाबा रामदेव रोड़ पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

21. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, बीकानेर।

स्टेच्युअरी रेस्पोडेन्ट

22. श्रीमती जोरा देवी पुत्र स्व. उतमाराम पत्नी अनोपाराम जाति मेघवाल निवासी भीमनगर, बीकानेर।

22/1 श्रवणराम (फौत) पुत्र श्रीमती जोरा देवी

22/1/1 सीतादेवी पत्नी श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी भीमनगर, बीकानेर।

22/1/2 रमेशकुमार पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी भीमनगर, बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

22/1/3 बंटी पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी भीमनगर, बीकानेर।

22/1/4 दुर्गा पुत्री श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी भीमनगर, बीकानेर।

–प्रोफोर्मा रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2014
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 20
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2014 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांटान एवं प्रोफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 22 के पूर्वज स्व. उतमाराम पुत्र पीराराम मिसल बन्दोबस्त संवत 2006 एवं जमाबंदी संवत् 2012 में वादगत भूमि साबिका खसरा नम्बर 59 रकबा 50 बीघा 2 बिस्वा ग्राम रायसर, तहसील बीकानेर के रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 9 के पूर्वजों शिवनारायण वगैरह के उप काश्तकार रिकॉर्डेड होने, मौके पर कब्जा काश्त उतमाराम का होने के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कारण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ. सन् 1955 में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभावशील होते ही धारा 19 के तहत खातेदार काश्तकार हो गये एवं इस आशय का रिकार्ड ऑफ राईट्स में नामान्तरणकरण सं. 16 दिनांक 14.07. 1961 के जरिये अंकन हुआ। खसरा नम्बर 59 तादादी 50 बीघा 02 बिस्वा के हाल बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 01 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 11.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.55 है. कुल तादादी 12.47 हैक्टेयर रोही मौजा रायसर तहसील बीकानेर में स्थित है हैं। आगे कथन करते हुए कहा कि स्व. उतमाराम का मिसल बन्दोबस्त संवत 2006 तथा जमाबंदी 2010 से 2017 तक बहैसियत उपकाश्तकार अंकन रहा एवं संवत 2018 से 2026 तक बहैसियत खातेदार काश्तकार विधिवत् इन्द्राज मौजूद है । वादगत भूमि में मौके पर ढाणी कुण्ड व सीमाबंदी अपीलांटान की स्व. उतमाराम के जमाने से मौजूद है। विरासतन इन्तकाल नम्बर 142 दिनांक 12.03.1975 के जरिये राजस्व रेकार्ड में स्व. उतमाराम के वारिसान खेताराम, गणेशाराम, पुरखाराम एवं जोरां (पुत्र–पुत्रीगण) का बहैसियत संयुक्त खातेदार काश्तकार अमल दरामद हुआ। अपीलांटान 2 से 10 स्व. खेताराम के तथा अपीलांटान संख्या 11 से 15 स्व. पुरखाराम के वारिसान है। इन्तकाल संख्या 145 के कालम संख्या 5 में खेता, गणेशा, पुरखा, जोरा संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 20 के द्वारा बिना कोई तथ्य परक कथन के गोलमाल कानूनी भाषा में आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत 20.03.2011 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तत्काल यह आपत्ति लिखित में वादीगण ने कर दी थी कि प्रार्थना पत्र Vague व गोलमाल भाषा में है। ऐसी सूरत में न्यायालय को यह देखना था कि प्रतिवादी द्वारा सारभूत तथ्य छिपाये गये है और आवश्यक पर्टीकुलर्स प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किये है तो आदेश 6 नियम 2–4 जाब्ता दीवानी के मद्देनजर तथा न्यायालय को प्राप्त अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे सारभूत तथ्य व पर्टीकुलर्स बताने के लिये प्रतिवादी को आदेश दिया जाना चाहिये था तथा दिगर सूरत में ऐसे Vague तथ्यहीन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना चाहिये था लेकिन न्यायालय ने पक्षपातपूर्ण रूख अपना कर वाद गलत व विधि विरूद्ध तौर पर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आने पर कथित डिक्री व उसके मु. नम्बर आदि का ज्ञान होने पर अपीलांटान ने उक्त सरासर प्रारम्भतः शून्य, बेअसर विधि विरूद्ध इकतरफा निर्णय व डिक्री की अपीलीय बिन्दूओं

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर अपील जुदागाना पेश करके उक्त अवैध इकतरफा निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस जारी रखते हुए कथन किया कि जिस डिक्री को आधार बताकर फैसला किया गया है. वह डिक्री अपीलांटान से पोशीदा रखी गई, सम्बन्धित पत्रावली तलब कर यह नहीं देखा गया कि पूर्व वाद किस की ओर से था, प्रतिवादी कौन थे, क्या रिलीफ कौनसी धाराओं के तहत थी। मातहत अदालत का फैसला व डिक्री जल्दबाजी में, मनमाने तौर पर कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ पारित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान को अपना पक्ष रखने का अवसर ही प्रदान नही किया गया। कथित डिक्री की पत्रावली में स्व. उतमाराम के वारिसान के न तो सही नाम दिये गये है ना ही उन पर तामील कराई गई है और उक्त डिक्री हस्तगत प्रकरण की ट्रायल में कानूनी तौर पर कतई बाधक नहीं है। वर्तमान प्रकरण और पूर्व प्रकरण में पक्षकार भिन्न है– धारायें व अनुतोष भिन्न है। वह वाद अपीलांटान की ओर से नहीं था, बल्कि गौरीशंकर रामलाल, तुलछीराम और भवानीशंकर की ओर से था जिसमें रामलाल तुलछीराम व भवानीशंकर ने बिना किसी सबूत के कनयालाल, कानीराम व जेसराज पिसर मुतबन्ना का बताया है जो दो गवाह पेश हुए उनमें से कोई भी वादगत भूमि के पडौस का तो क्या ग्राम रांयसर का भी वाशिन्दा नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मामला प्रतिवादीगण संख्या 10 से 20 के द्वारा साजिशाना तौर पर कराये गये बैयनामों को विधि विरूद्ध वादीगण के हको के समक्ष सर्वथा शून्य व बेअसर घोषित करवाने का घोषणात्मक व चिर निषेधाज्ञा का वाद भी थ जिसे नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक कर्तव्यों के पलायन कर अपीलांटान के साथ अन्याय किया है। निर्णय जैर अपील में अपीलांटान की ओर से प्रस्तुत विधि दृष्टातों की सरासर अवहेलना की गई है, उनका कोई विवेचन कतई नहीं किया गया है बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 20 की ओर से प्रस्तुत प्रकरण पर नहीं चस्पा होने वालो दृष्टातों का गलत सहारा लिया गया है। मातहत अदालत के समक्ष किसी पुख्ता आवंटन के आधार पर घोषणा का कोई वाद विचाराधीन नहीं था, ना ही अपीलांटान व रेस्पोडेन्टान के मध्य तहत अदालत से उच्च न्यायालय तक समान पक्षकारों के मध्य, समान अनुतोष व धाराओं का कोई प्रकरण निर्णितशुदा था। जो था वह षडयंत्रपूर्वक बिना उचित पक्षकार बनाये, झूठे जिन पिसर मुतबन्नाओं का,

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

झूठा वाद था जिसमें अपीलांटान ना तलब हुए. ना उनको समुचित तलबी पर ध्यान दिया गया। अतः रेज्यूडीकेटा का सिद्धान्त भी लागू नहीं होता ।मातहत अदालत के सामने समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध, जो पूर्व मामले में पक्षकार वादी नही थे, खातेदारी हकूको की घोषणा, चिर निषेधाज्ञा के साथ–साथ प्रारंभतः शून्य व बेअसर विक्रय पत्रों की तदविषयक घोषणा का वाद था । अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखा कि कॉज ऑफ एक्शन के वाद पत्र में में वर्णित बंडल ऑफ फैक्ट्स से कॉज ऑफ एक्शन का कानूनी स्वरूप तय होता है, जो समस्त प्रतिवादीगण का जबाब दावा आने पर बाद कायमी तनकीयात उभय पक्ष की साक्ष्य आ जाने पर निर्णित किया जा सकता है। प्रस्तुत विधि दृष्टातों की विवेचना करने से मातहत अदालत ने इसीलिये गुरेज किया है। जहां मियाद या क्षेत्राधिकार का बिन्दु हो, तो वादी पक्ष के अभिवचनों के आधार पर कोई भी प्रकरण किसी भी स्टेज पर खारिज हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती (हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई कानूनी बाधकता नहीं है) कॉज ऑफ एक्शन वादीगण के अभिवचनों से उत्पन्न होता है और उक्त अभिवचनों से उत्पन्न होना अपीलांटान के वाद पत्र से साबित होता है। ताहम, वाद के निर्णय पर ही उक्त Bundle of facts के मद्देनजर कॉज ऑफ एक्शन का बिन्दु तय किया जाना चाहिये था। मातहत अदालत ने अपनी मनमानी करके Abusement Proces of law किया है। अधीनस्थ न्यायालय को बहस में अपीलांटान की ओर से यह भी बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ वाद पत्र के अभिवचनों को ही देखा जा सकता है इसके अलावा कुछ नहीं। आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी की मंशा के अनुसार मात्र वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात पर ही गौर किया जावेगा । प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये डाक्यूमेन्ट्स को आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण करते समय नहीं देखा जा सकता । प्रतिपक्ष का कोई भी डाक्यूमेन्ट वाद की पूरी ट्रायल पूरी होने पर ही विवेचन व निर्णय के उपयोग में आ सकता है। इसके अलावा नहीं । परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान की नजीरों को सिर्फ निर्णय में हवाला देकर छोड़ दिया, उनके विवेचन में एक शब्द भी खर्च नहीं किया। यह कानून व न्याय प्रक्रिया तथा सहज न्यायसिद्धान्तों की सर्वथा अनदेखी ही नहीं बल्कि अवहेलना है। अतः निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2021 (2) पेज 1480, सीजे 2017(2), पेज 816, आरआरटी 2017(2) पेज 864, आरआरटी 2011(2)

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पेज 1433, आरआरटी 1998 पेज 200, आरआरटी 2014(2) पेज 1263, आरबीजे 1996 पेज 377 पेश कर कथन किये कि आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में वाद पत्र में अंकित तथ्यो के अलावा अन्य किसी सामग्री पर विचार नही किया जा सकता है। यह विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्न को साक्ष्य लेकर ही निर्णय किया जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र वाद में वाद विधि द्वारा किस प्रकार वर्जित है यह दर्शाना आवश्यक है। वाद–पत्र को पढ़ने मात्र से यदि वाद कारण प्रकट होता है और किसी विधि द्वारा वर्जित नही है तो वाद पोषणीय है। न्यायालय को तनकी बनाये बिना दावे का निस्तारण नही करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज फरमाई जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी जैर अपील के संबंध में दावा संख्या 108/1971 अनवान गौरीशंकर वगै बनाम खेताराम वगै अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उतर बीकानेर के समक्ष पेश हुआ जो दिनांक 07–10–1972 को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया तथा गौरीशंकर वगैरहा को उनका मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त होने के कारण खातेदार घोषित किया गया। उक्त निर्णय के बाद अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर, बीकानेर के समक्ष काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत दावा संख्या 325/2011 अनवानी गणेशाराम बनाम श्रीरतन पेश किया जिसमें रेस्पोडेन्ट ने हाजिर होकर दिनांक 03–07–2013 को निर्णय व डिक्री दिनांक 07–10–1972 की नकल प्रस्तुत की जिसके बाद अदालत मातहत ने आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट का दावा रिजेक्ट किया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील पेश की है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन करते हुए कहा कि अराजी जैर अपील के सबंध में गौरीशंकर वगै ने दावा संख्या 108/1981 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उतर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उतर ने गौरीशंकर वगैरह को खातेदार घोषित किया है जिसकी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होती है लेकिन दावा संख्या 325/2011 प्रस्तुत करने से पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07–10–1972 की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोई अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई इसलिए उपखण्ड अधिकारी उतर के निर्णय दिनांक 07–10–1972 के मौजूद रते हुए दावा निर्णित करने का अधिकार सहायक कलेक्टर को प्राप्त नही था। क्योकि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का अधिकार अपील अधिकारी को प्राप्त है जिसके अधिकारो का प्रयोग करने का अधिकार विचारण न्यायालय को प्राप्त नही होने के कारण अपीलांट गौरीशंकर का दावा बार्ड बाई लॉ की तारीफ में आता है इसलिए अदालत मातहत ने दावा सही खारिज किया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2023 पेज संख्या 496–497, आरएलडब्ल्यु 2006(1) पेज संख्या 499 पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन करते हुए कहा कि अपीलांट ने अपने द्वारा प्रस्तुत अपील में कानूनी आपत्ति अंकित की है कि आदेश 7 नियम 11 में केवल वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को ही देखा जा सकता है जबकि कानूनन आदेश 7 नियम 11 में दस्तावेजो को देखने पर इंकारी नही है। कानून में आदेश 7 नियम 11 में प्रतिवादी के ऐसे दस्तावेजात को भी देखा जा सकता है जो न्यायालय के अधिकार को बार्ड करता है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यु 2006 (1) पेज संख्या 499 पेश किये। आगे कथन करते हुए कहा कि जहॉ दावा विधि बाधित हो वहा पर जवाब दावा व तनकी कायम किये बिना भी दावा किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट किया जा सकता है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यु पेज संख्या 499, एआईआर पेज संख्या 109 एफ पेश किया। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है।
आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश 7 नियम 11 के अनुसार– **Rejection of plaint.— The plaint shall be rejected in the following cases:— (a) where it does not disclose a cause of action; (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so; (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so; (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law.**

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी वाद कारण उत्पन्न न होने तथा वाद विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किया गया है। इस न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी को आदेश 7 नियम 11 के क्लॉज ए व डी के तहत सही खारिज किया है अथवा नही?

जहॉ एक ओर आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का स्कॉप अत्यन्त सीमित होता है। इसमें वाद पत्र के अभिकथनो को सही मानने की उपधारणा की जाती है, वही दूसरी और आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान न्यायालय को सशक्त करते है कि किसी भी वैग व बॉग्स दावे को कार्यवाही के किसी भी स्तर पर न्यायालय स्वतः ही समाप्त कर वाद पत्र खारिज कर सकता है।

जहॉ तक प्रकरण में वाद हेतुक प्रकट होने का प्रश्न है इस संबंध में वाद पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि वाद पत्र के पेरा संख्या 12 व 14 में वाद कारण उत्पन्न होने का उल्लेख है। आदेश 7 नियम 11 में केवल वाद पत्र के अभिकथन पढ़े जाते है तथा इन अभिकथनो के सही होने की उपधारणा की जाती है। इस स्थिति में प्रकरण में वाद कारण उत्पन्न होना प्रकट होता है। अतः वाद वादी आदेश 7 नियम 11 के क्लॉज ए के तहत खारिज करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अब प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या वाद क्लॉज डी (विधि द्वारा वर्जित) के प्रावधानो के तहत आता है अथवा नही?

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आराजी के संबंध में पूर्व में दावा प्रकरण संख्या 108/71 बअनवानी गौरीशंकर वगै. बनाम खेताराम वगै. अन्तर्गत 88 आरटीएक्ट में दिनांक 07–10–1972 को निर्णय व डिक्री पारित किये जा चुके है।

यह तथ्य भी निर्विवाद है कि प्रकरण संख्या 108/71 एवं अपीलाधीन प्रकरण संख्या 325/2011 की प्रश्नगत आराजी/विवाद की विषयवस्तु समान है।

यह तथ्य भी विधि द्वारा सुस्थापित है कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा जब एक बार निर्णित हो चुका है तो उसी न्यायालय में पुनः दावा संस्थित नही किया जा सकता है।

आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वाद पत्र के अभिकथन पढकर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि दावा विधि द्वारा वर्जित है अथवा नही? यद्यपि अधिवक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्लयु 2006(1) पेज संख्या 499 प्रस्तुत कर कथन किये कि आदेश 7 नियम 11 में दस्तावेजो को देखने में मनाही नही है।

केवल वाद–पत्र के अभिकथनो पर गौर करे तो वादी द्वारा वाद पत्र के पेरा संख्या 17 (क) में अनुतोष चाहा है कि इंतकाल संख्या 145 व इस पर आधारित प्रविष्टिया व रजिस्ट्रियॉ विधि विरूद्ध घोषित की जाए। वाद–पत्र के अभिकथनो से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि वादी/अपीलांट का प्राथमिक अनुतोष इंतकाल संख्या 145 को खारिज करवाना है व इस पर आधारित प्रविष्टियों को रद्द करवाना है। वाद में यह अनुतोष दिये बिना शेष आनुषंगिक अनुतोष दिया जाना संभव नही है। इंतकाल संख्या 145 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में जो प्रविष्टिया दर्ज हुई है वे पूर्व में प्रकरण संख्या 108/71 में पारित निर्णय दिनांक 07–10–1972 के कम में हुई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकारो की घोषणा का नया दावा पेश करने के स्थान पर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील में जाना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

चाहिए था। प्रश्नगत आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब दिनांक 07–10–19972 को एक बार निर्णय पारित किया जा चुका था तो पुनः उसी आराजी पर लाया गया वाद पोषणीय नही है। अतः वाद–पत्र के अभिकथन मात्र से वाद वादी विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी में आता है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2023 पेज संख्या 496–497, आरएलडब्ल्यु 2006(1) पेज संख्या 499 यहा चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के क्लॉज डी के तहत वाद वादी को विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नही की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28–02–2014 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 14-08-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर